सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

कमांक : एफ.1(535)आ.उ./पीएडीअनु/सीधी भर्ती/पार्ट–III/12 जयपुर, दिनांक: 22.02.2016

:: आदेश ::

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2012 में परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में दो **वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (जिला उद्योग अधिकारी)** के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:–

क्र. सं.	मेरिट सं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान
1.	382	867091	कुमारी प्रीति शर्मा पुत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, प्लांट नं. 865, जमुना डेयरी, अजमेर रोड़, सोडाला, जयपुर–302006	GE, WE	04.08.1988	जिला उद्योग केन्द्र, टोंक रिक्त पद पर
2.	383	864005	कुमारी पूजा शर्मा पुत्री श्री ओमप्रकाश सेवदा, 506, रानी सती नगर, अजमेर रोड़, राजस्थान, जयपुर–302019	GE, WE	27.08.1988	जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा रिक्त पद पर
3.	387	861836	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री तेजराम गुप्ता, I/II सेक्टर–10, विद्याधर नगर, जयपुर–302039	GE, NG	05.10.1970	जिला उद्योग उपकेन्द्र, आबूरोड़ (सिरोही) रिक्त पद पर
4.	396	867436	कुमारी उपासना घई पुत्री श्री हरीश कुमार घई, 469/4, वशिष्ठ मार्ग, राजापार्क, जयपुर–302004	GE, WE	28.07.1988	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा रिक्त पद पर
5.	453	863954	श्री कोमल कान्त शर्मा पुत्र श्री गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा डा. पी. एस.शर्मा, 31–वीर सावरकर नगर, अलवर, राज–301001	BC	27.09.1977	जिला उद्योग केन्द्र,प्रतापगढ़ रिक्त पद पर
6.	520	822412	कुमारी खुशबू कुमावत पुत्री श्री विजय कुमार द्वारा कृष्ण कुंज, गटाणी बालिका विद्यालय के पीछे, नोखा (बीकानेर), राज.–334803	BC, WE	22.03.1985	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर रिक्त पद पर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

7.	2146	831911	श्री खेताराम मेधवाल पुत्र श्री नारायण राम मेघवाल, 99, माँ भगवती नगर, बालसमंद, मण्डोर, जोधपुर- 342026	SC	01.09.1979	जिला उद्योग केन्द्र,जैसलमेर रिक्त पद पर
8.	2240	867948	श्री अनुज परेवा पुत्र श्री हेमराज परेवा,दरबार स्कूल के सामने, दयानन्द मार्ग, साभर लेक-303604 जिला- जयपुर (राज.)	SC	01.06.1978	जिला उद्योग केन्द्र, जालोर रिक्त पद पर
9.	2539	822753	श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री पृथ्वी सिंह धवल, ग्राम पंचायत भवन के पीछे, शिव बॉडी, बीकानेर-334001	SC,WE	04.01.1978	जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर रिक्त पद पर

उक्त कार्मिकों का आवंटन कार्मिक (क-4, अनु-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक प.7(1)कार्मिक/क-4/2/2015 दिनांक 11.02.2016 के द्वारा उद्योग विभाग में उद्योग अधीनस्थ सेवा के जिला उद्योग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किया गया है।

नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

1. उक्त नियुक्तियां एस.एल.पी. संख्या 18272-76/2008 (सिविल अपील सं. 2049-2053/2011) एवं रिट पिटीशन संख्या 6744/2008, 11200/2010, 5347/2015, 1085/2014 एवं डी.बी.स्पेशल संख्या 544/2015 एवं रिट पिटीशन संख्या 1862/2013 (कैप्टेन श्री गुरविन्दर सिंह बनाम राज. राज्य, 18073/2015 चित्रा जोशी बनाम राज्य सरकार तथा 16667/2015 गीता बनाम राज. राज्य के अतिरिक्त) माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

   उक्त सेवा आवंटन डी.बी.स्पेशल अपील नं. 868/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015, एस.बी.याचिका संख्या 9410/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.09. 2015 तथा 15.12.2015, रिट संख्या 6046/1999 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 10.08. 2015 तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन सं. 9292/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04. 09.2015 को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

2. **इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013 PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।**

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

3. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र संख्या प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही है जो परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम' 1966 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
6. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होंगी।
7. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा अधिकारी (जिला उद्योग अधिकारी) होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति सदत्त करने की अपेक्षा की जावेगी तथापि यात्रा एवं दैनिक भत्तों के रूप में सदत्त की गई राशि वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यार्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यकम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यकम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यकम उत्तीर्ण नही किया है उन्हें हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है।
12. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल मानी जावेगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

13. नियुक्त अभ्यर्थी, जो विवाहित हैं उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
14. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

24/02

Sh. Sethi

आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : एफ.1(535)आ.उ./पीएडीअनु/सीधी भर्ती/पार्ट–III/12 जयपुर, दिनांकः 22.02.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान रीपा, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (एमएसएमई)।
6. संबंधित अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन) मुख्यालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की वेबसाईट हेतु।
9. संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि नवनियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो विवाहित हैं उनसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा इन्हें चार सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण पश्चात कार्य आवंटित करे।
10. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग